

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 24/08/2015

संख्या-3/टी-01-07/2015- 336(3) /स्वा०, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को अपने ही वेतनमान में कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्तम्भ-3 में अंकित जिलों/संस्थानों से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित पदों पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० सं० | चिकित्सा पदाधिकारी का नाम    | वर्तमान पदस्थापन  | गृह जिला  | वरीयता | नवपदस्थापित पद                    |
|----------|------------------------------|---|-----------|--------|-----------------------------------|
| 1        | 2                            | 3   | 4         | 5      | 6                                 |
| 1        | डा० ललित मोहन शर्मा          | सिविल सर्जन, अरवल   | पटना      | 3144   | क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, पटना |
| 2        | डा० उदय कुमार गुप्ता         | प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शेखपुरा, पटना | रौंची     | 3576   | अपर निदेशक (मुख्यालय)             |
| 3        | डा० उमा शंकर मधुप (एस०सी०)   | सिविल सर्जन, सुपौल  | गोपालगंज  | 4453   | अपर निदेशक (मुख्यालय)             |
| 4        | डा० नरेश कुमार (एस०सी०)      | निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा                            | पटना      | 5200   | अपर निदेशक (मुख्यालय)             |
| 5        | डा० नागेश्वर प्रसाद (एस०सी०) | संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना                                     | वैशाली    | 5900   | अपर निदेशक (मुख्यालय)             |
| 6        | डा० हुस्न आरा बेगम           | क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा० सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ                  | पूर्णियाँ | 2886   | अपर निदेशक (मुख्यालय)             |

2. पदस्थापित/स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापित स्थान पर तुरंत योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि पदस्थापित/स्थानान्तरित सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को नवपदस्थापित स्थान के लिए तुरंत विरमित कर दें।

4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवकमित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 3/टी-01-06/2015- 336(3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 24/08/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा

पदाधिकारी/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सम्बंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :-सम्बंधित स्थानान्तरित/अधिसूचित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अधिसूचित पदाधिकारियों के नाम अथवा उनके पूर्व पदस्थापन में मामूली त्रुटि होने पर भी अधिसूचित पदाधिकारी स्थानान्तरित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे एवं त्रुटि में सुधार हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा।

प्रतिलिपि :-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - अवर सचिव, लेखा/ लेखा, शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव